झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–189 / 2019

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव / सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार
3. उपायुक्त, चतरा
4. कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल और स्वच्छता मिशन, चतरा, जिला–चतरा
5. कार्यपालक अभियंता, पेयजल और स्वच्छता विभाग, चतरा डिवीजन, जिला–चतरा

.....याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

अखंड ज्योति, एक स्वैच्छिक संगठन, जिसका बागरा, जिला–चतरा में अपना पंजीकृत कार्यालय है, बुचीदरी, वार्ड नंबर 04, डाकघर, थाना और जिला–चतरा में समन्वय कार्यालय है, अपने सचिव, श्री उदय कुमार सिंह के माध्यम से .....

प्रतिवादी

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : एस0सी0 (एल एंड सी)–III

विरोधी पार्टी के लिए :

05 / 15.01.2021 इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है।

याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को अभी के लिए नजरअंदाज किया जाता है।

यह सी0एम0पी0 झारखण्ड राज्य की ओर से दायर किया गया है, जिसके द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–3330 / 2018 में इस न्यायालय द्वारा पारित 11.10.2018 के आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग किया जा रहा है।

दिनांक 26.06.2020 के आदेश का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके तहत उपायुक्त, चतरा (इस सी0एम0पी0 के याचिकाकर्त्ता सं0 3) को पूरक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया गया था कि क्या इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–3330/2018 में दिनांक 11.10.2018 को पारित आदेश का अनुपालन उक्त तिथि तक किया गया।

इस सी0एम0पी0 में पारित दिनांक 26.06.2020 के उक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्त्ता सं0 3 की ओर से एक पूरक शपथ–पत्र दायर किया गया है, जिसके कंडिका 10 में कहा गया है कि समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्त्ता सं0 3 ने यथोचित आदेश पारित किया है और रिट याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि को मेमो सं0 628/गो दिनांक 11.07.2019 द्वारा सूचित कर दिया गया है। उक्त आदेश की एक प्रति उक्त पूरक शपथ पत्र में अनुलग्नक–सी के रूप में संलग्न की गई है।

यह ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–3330/2018 में पारित दिनांक 11.10.2018 के आदेश का अब अनुपालन किया गया है, मुझे उक्त आदेश में संशोधन करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

यह सी0एम0पी0, तद्नुसार, निपटाया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)